न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 89/2018 (Bank Case)

आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– आई सी आई सी आई बैंक टावर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पादरा रोड, बडोदरा तथा शाखा कार्यालय– स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग मालवीय नगर, जयपुर–302017, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री नितिन जोशी ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. शुभम कन्सट्रक्शन कंपनी (प्रो. श्री जयंत राठौड)
   म0 नं0 4,–जे–3, रंगबाडी योजना, सेक्टर–4, कोटा, जिला कोटा (राज.)
2. श्री बजरंगलाल राठौड,
   म0 नं0 4,–जे–3, रंगबाडी योजना, सेक्टर–4, कोटा, जिला कोटा (राज.)
3. श्रीमति हेमलता राठौड़
   म0 नं0 4,–जे–3, रंगबाडी योजना, सेक्टर–4, कोटा, जिला कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 06.08.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– आई सी आई. सी आई बैंक टावर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पादरा रोड, बडोदरा तथा शाखा कार्यालय– स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग मालवीय नगर, जयपुर–302017 से अप्राथीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये करार संख्या 687605114233 दिनांक 17.11.2012 को 37,00,000/– (अक्षरेः सैंतीस लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी नं0 3 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमति हेमलता राठौड पत्नि श्री बजरंग लाल राठौड के नाम भूमि एवं निमार्ण आवासीय मकान जिसका क्षैत्रफल 90 वर्ग मीटर है जो कि मकान नं0 4–जे–3, रंगबाडी योजना, सेक्टर–4, कोटा जिला कोटा में स्थित है जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूर्व में– मकान नं.–4 जे–4, उत्तर में–मकान नं0 4 जे–18,19, दक्षिण में–रोड, पश्चिम में– मकान नं0 4–जे–2 है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.11. 2018 को एन.पी.एः कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाता संख्या 687605114233 मे 39,20,200.48 (अक्षरे रूपये उन्तालिस लाख, बीस हजार, दौ सौ रूपये अड़तालिस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कंब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अचल सम्पत्ति श्रीमति हेमलता राठौड पत्नि श्री बजरंग लाल राठौड के नाम भूमि एवं निमार्ण आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है जो कि मकान नं0 4–जे–3, रंगबाडी योजना, सेक्टर–4, कोटा जिला कोटा में स्थित है जिसकी चर्तु: सीमाएं– पूर्व में– मकान नं.–4 जे–4, उत्तर में–मकान नं0 4 जे–18,19, दक्षिण में–रोड, पश्चिम में– मकान नं0 4–जे–2 है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में, गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्रिम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाता संख्या 687605114233 मे 39,20,200.48 (अक्षरे रूपये उन्तालिस लाख, बीस हजार, दो सौ रूपये अड़तालिस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही सम्भलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 30.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति **श्रीमति हेमलता राठौड पत्नि श्री बजरंग लाल राठौड के नाम भूमि एवं निमार्ण आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है जो कि मकान नं0 4–जे–3, रंगबाडी योजना, सेक्टर–4, कोटा जिला कोटा में स्थित है जिसकी चर्तु: सीमाएं– पूर्व में– मकान नं.–4 जे–4, उत्तर में–मकान नं0 4 जे–18,19, दक्षिण में–रोड, पश्चिम में– मकान नं0 4–जे–2** है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner